POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)
NR-I, B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016

पावरग्रिड

Inter Office Memo

From : **Chief GM(PESM) and Designated CPIO, NR-1**

To : **GM (HR), NR-I**

Copy to : **Chief GM (Vigilance), NR-I: for information please.**

Ref : Power Grid/NR-I/RTI/1712/

Date : 21.12.2018

Subject: Information sought by Shri V.K.Gaur, H. No. C-115, Gali No.08, Kanti Nagar Extension, Delhi-110051-under Right to Information Act, 2005.

This has reference to RTI application of Shri V.K.Gaur, H. No. C-115, Gali No.08, Kanti Nagar Extension, Delhi-110051 which is received in the office of the undersigned under Right to Information Act, 2005. The information sought by the applicant in his RTI Application pertains to your Department/Jurisdiction. A copy of the aforesaid application vide which the applicant sought information is enclosed herewith for information and doing the needful at the earliest under RTI Act – 2005.

It is requested to send the requisite information in well/appropriate manner to the undersigned on priority basis so that the information can onward be forwarded to the aforesaid applicant as early as possible.

In the event the information sought by the applicant in the said RTI does not pertain to your Department/Jurisdiction, this may immediately be sent to the appropriate authority that can be able to provide information or the same may be intimated to the undersigned within 03 days of the receipt of this letter. If no such communication is received in our office it will be considered that the information sought by the applicant is available with your Department/Jurisdiction.

This is being issued as per Section 5(V) of the R.T.I. Act.

for Prasad 21/12/2018

[ALOK]

Reg. No. (1)/DRTU/SD/17 ESTABLISHED : 2017 1712 Read 20/12/2018 INTUC AFFILIATION No. : 13617

पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम

Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham

पंजी. कार्यालय : ए–22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065
Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref. No: PG/NR1/KT/HR/2018/ 1736

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

Application for obtaining information

From,
V. K. Gaur
H.No.–C- 115, Gali No.–8,
Kanti Nagar Extn,, Delhi–110051

To,
The Chief Public Information Officer (CPIO)
Power Grid Corporation of India Limited
B-9, Qutub Institutional Area , Katwariya sarai,
New Delhi- 110016.

Subject: Under the Right to Information Act 2005, section–6 (1)

Respected sir,

"Please supply me copies of the(1) Preliminary Action Taken Report, (2) Taken Report and Final decision of the competent authority in matters of the letter dated 15.10.2018 and above mentioned Ref: representation in this letter filed by undersigned, addressing to Executive Director (NR-1)Power Grid Corporation of India Ltd. B-9, Qutub Institutional Area , Katwariya sarai, New Delhi- 110016 (Copy enclosed)".

As IPO worth of Rs.-10/- with no.38F 171514 is attached here with this letter as RTI Fees.

With best Regards,

वी के गौड़ 15/12/18
Truly Yours,

Dated: 15th December 2018

Acknowledgement

दश टाका   दहा रुपये   दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

PAY TO Power Grid corporation of India Ltd. को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

New Delhi

के डाकघर में अदा करें।

PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

V.K. Gaur, C-115, Gali no-8
Kanti Nagar Extn.
Delhi - 51

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

38F 171514

पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम
Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham

पंजी. कार्यालय : ए–22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली–110065
Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref. No: PG/NR1/KT/HR/2018/1540

सेवा में,

दिनांक: 15/10/2018

कार्यकारी निदेशक, (उ.क्षे. प्रथम),
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०(भारत सरकार का उपक्रम)
बी-9,कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली -110016

संदर्भ: पीजी/एनआर-1/केटी/2018/908/दिनांक:29/05/2018

विषय:अनुस्मारक, पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों के सदस्यों को उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.आर.बी.सी. वार्ता में गैरसंवैधानिक तरीके से आमंत्रित करने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में सारगर्भित, तथ्यात्मक एवं वास्तविक आधारों पर आधारित निम्नवत बिन्दुवार विवरण आपके सादर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. यह है कि पी.एन.बी.सी. पावरग्रिड निगम में कामगारों एवं प्रबंधन के मध्य शीर्षस्थ ज्वाइंट कंसल्टेटिव फोरम है।

2. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार पावरग्रिड का प्रत्येक क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम पी.एन.बी.सी. की एक कांस्टीट्यूऐन्सी है।

3. यह है कि पी.एन.बी.सी. में हुए समझौते प्रबंधन एवं कामगारों के लिए बाध्यकारी है।

4. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार एक यूनियन उसी क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत है, जहाँ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित पंजीकृत कार्यालय से यूनियन का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

5. यह है कि केन्द्रीय कार्यालय परिपत्र संख्याः के/मा0सं0/औ.अ/ दिनांक 12.05.2016 के अंतर्गत 01 जुलाई 2016 से उत्तरी क्षेत्र प्रथम का विभाजन एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय का सृजन हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा का आंशिक भूभाग, एन.सी.आर. और समस्त राजस्थान का भौगोलिक परिक्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम के अंतर्गत एवं उत्तर प्रदेश व उतराखंड का शेष भूभाग नव गठित उत्तरी क्षेत्र तृतीय की भौगोलिक परिधि के अंतर्गत कार्यरत है।

6. यह है कि मार्च 2015 को उत्तरी क्षेत्र प्रथम में कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों के मध्य चुनाव हुआ था (1) पावर ग्रिड इम्पलाइज ट्रेड यूनियन सम्बद्धता भारतीय मजदूर संघ 1988 पंजी.सं.7306 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश एवं (2) पावर ग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ सम्बद्धता सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन 1994-95 पंजी.सं.8166 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश। उक्त वर्णित केन्द्रीय कार्यालय के आदेश के फलस्वरुप दोनों संगठन जो कि कानपुर श्रमायुक्त के यहां पंजीकृतानुसार वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र तृतीय की परिधि के अंतर्गत क्रियान्वित है। इसकी पुष्टि उत्तरी क्षेत्र तृतीय के पत्रांक उ.क्षे-/पावरग्रिड/आर.टी.आई./36/3356 दिनांकः 08-03-2017 के द्वारा भी होती है। (छाया प्रति संलग्न).

7. यह है कि संगठन के द्वारा दिनांक 23.01.2017 को सूचना के अधिकार की धारा 6 (1) के तहत किए गए आवेदन के उत्तर स्वरुप पावरग्रिड विभाग द्वारा दिए गए पत्रों से यह बात सुस्पष्ट होती है कि उपरोक्त वर्णित दोनों संगठन दी सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेग्यूलेशनस 1938 की धारा 07 के अंतर्गत पावरग्रिड के दो क्षेत्रों/राज्यों से पंजीकृत नहीं है, अतः स्पष्ट है कि दिनांक:01.07.2016 से उपरोक्त वर्णित संगठनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र प्रथम नहीं आता है।

15/10/2018

पावरग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र
Regn. No. (1)/DRTU/ SD/17

8. यह है कि ट्रेड यूनियन एक्ट एमेंडमेंट 2001 अनुभाग के अनुसार ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी एवं उसके सदस्य (पावरग्रिड के संदर्भ में पी.एन.बी.सी. सदस्य) जो प्रबंधन से वार्ता बाबत अधिकृत हैं अधिकतम तीन वर्ष की अवधी के लिए ही चुनाव द्वारा चयनित किए जा सकते हैं।

Trade Union Amendment Act 2001 Section 6 "hh"

"hh. The duration of period not more than three years, for which the members of the executive and other office bearers of the Trade Union shall be elected."

मार्च 2015 में हुए पी.एन.बी.सी. चुनाव को तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है, अतः उस चुनाव के आधार पर बिन्दु 06 में वर्णित यूनियनों को पी.आर.बी.सी. में उत्तरी क्षेत्र प्रथम द्वारा आमंत्रित करना ट्रेड यूनियन एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन है।

9. यह है कि इंडियन लेबर कांफ्रेंस भारतीय श्रम कानूनों पर स्पष्टीकरण, व्याख्या, चर्चा आदि करने की शीर्षस्थ मांत्रालिक स्तर का फोरम/प्लेटफार्म है। 1992 में हुई तीसवीं आई.एल.सी. की बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ 11 के बिन्दु 12 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार ज्वाइंट कंसल्टेटिव फोरम/ नेगोशीएशन काउंसिल (पावरग्रिड के संदर्भ में पी.एन.बी.सी.) का गठन चुनाव द्वारा अधिकतम तीन वर्ष के लिए किया जा सकता है, एवं वह यूनियन जिसने रजिस्ट्रेशन के उपरांत एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो उसमें भाग ले सकती है। 1992 में हुई तीसवीं आई.एल.सी. की बैठक के कार्यवृत्त में नेगोशीएशन काउंसिल (पावरग्रिड के संदर्भ में पी.एन.बी.सी.) के टेनोयर से अधिक बढाने का कोई भी प्राविधान नहीं है।

10. यह है कि पावरग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम को पंजीकृत हुए एक वर्ष आठ माह से अधिक समय हो गया है एवं संगठन ने विगत समय में सफलतापूर्वक कर्मचारियों की विभिन्न माँगों को लेकर प्रबंधन से पत्राचार किया है।

11. यह है कि बिन्दु 06 में वर्णित उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत दोनों यूनियनों को उत्तरी क्षेत्र प्रथम में पीआरबीसी वार्ता हेतु प्रबंधन मा.सं. क्षे. मु., उ.क्षे.प्रथम द्वारा असंवैधानिक रूप से आमंत्रित किया गया है, इसीलिये प्रबंधक मा.सं.का यह कृत्य पूर्णतः अनुचित एवं संविधान की धारा 14-16,19 (1), 23, 24,38,41-43ए के तहत कर्मचारियों को प्रदत्त कलैक्टिव बार्गेनिंग, संगठित होने के मूल भूत अधिकारों के प्रतिकूल है। इस प्रकार प्रबंधक मा.सं. क्षे. मु., उ.क्षे.प्रथम द्वारा द्विपक्षीय पीआरबीसी वार्ता में उ.क्षे.-तृतीय में पंजीकृत संगठनों/यूनियनों के प्रतिनिधियों को असंवैधानिक रूप में आमंत्रित करने से उत्तरी क्षेत्र प्रथम के कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है।

12. यह है कि केन्द्रीय कार्यालय परिपत्र संख्याः के/मा0सं0/औ.अ/ दिनांक 12.05.2016 के अंतर्गत 01 जुलाई 2016 से उत्तरी क्षेत्र प्रथम का विभाजन एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय का सृजन हुआ। 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार मार्च 2015 में पी.एन.बी.सी. के चुनाव हुए थे, उस समय के अविभाजित उत्तरी क्षेत्र प्रथम में पी.एन.बी.सी. वार्ता हेतु सदस्यों की कुल संख्या 03 ही थी और पी. आर. बी. सी. वार्ता के लिए सदस्यों की कुल संख्या 13 थी । परन्तु उत्तरी क्षेत्र प्रथम व तृतीय दोनों क्षेत्रों में पी.आर.बी.सी. की बैठक अलग-अलग की जाती है, तथा दोनों क्षेत्रों में कुल(13+13) छब्बीस प्रतिनिधियों को पी.आर.बी.सी.में बुलाया जाता है परन्तु दोनों क्षेत्रों से पी.एन.बी.सी. में कुल तीन प्रतिनिधियों को ही बुलाय जाता है। पी.आर.बी.सी. एवं पी.एन.बी.सी. बैठक में प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या में अलग-अलग मापदंड रखना असंवैधानिक है।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं 01 से 12 द्वारा यह स्पष्ट है कि:

- पावरग्रिड में प्रत्येक ट्रांसमिशन सिस्टम एक कांस्टीटयूएन्सी है।
- यूनियन उसी ट्रांसमिशन सिस्टम में वैध है जहां की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वह पंजीकृत है।
- पावरग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पंजीकृत वैधता को एक वर्ष से अधिक हो गया है, तथा संगठन उसी समय से सक्रीय है।

15/10/2018

Regn. No.
(1)/DRTU/ SD/17

⍰ उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.आर.बी.सी. बैठक हेतु वर्तमान में आमंत्रित की जा रही दोनों यूनियन उत्तरी क्षेत्र तृतीय की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कानपुर उत्तर प्रदेश से पंजीकृत हैं।

अतः उत्तरी क्षेत्र 01 की पी.आर.बी.सी. बैठकों में उत्तरी क्षेत्र 03 की भोगौलिक परिधि में पंजीकृत एवं कार्यरत यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाने से एवं वैध तरीके से उत्तरी क्षेत्र 01 में पंजीकृत पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम को उत्तरी क्षेत्र 01 की पी.आर.बी.सी. में आमंत्रित नहीं करके प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्राविधानों, संविधान की धारा 14-16,19 (1), 23, 24,38,41-43ए तथा 1992 की तीसवी इंडियन लेबर कांफ्रेंस के **निर्णयों** का उल्लंघन किया जा रहा है।

उत्तरी क्षेत्र प्रथम में वैध तरीके से एकमात्र पंजीकृत **"पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम"** को आमंत्रित नहीं करके एवं अनुचित तरीके से उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों को उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.आर.बी.सी. बैठक में एक मात्र वैध यूनियन से वार्ता न करना section 2 (ra) fifth schedule के बिंदु 15 के तहत Unfair Labour Practice है। तथा Unfair Labour Practice ID Act 1947 के section 25 u के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः मान्यवर जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.आर.बी.सी. बैठकों में सिर्फ उत्तरी क्षेत्र प्रथम के अंतर्गत वैध पंजीकृत संगठन **"पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम"** को आमंत्रित करने का श्रम करावें। अन्यथा न्याय न मिलने की स्थिति में संगठन उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाने को बाध्य होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

भवदीय

वी.के.गौड़ 15/10/2018

वी.के.गौड़

(महामंत्री)

Regn. No. (1)/DRTU/ SD/17

प्रतिलिपि:

01 निदेशक कार्मिक, पावरग्रिड, विनम्र सूचनार्थ।

02 श्रीमान बाबर सलीम पासा, इंटक विनम्र सूचनार्थ।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

CIN No. [illegible] (A Government of India Enterprise)

पावरग्रिड

उत्तरी क्षेत्र III क्षेत्रीय मुख्यालय / Northern Region-III Regional Head Quarter

[illegible]

[illegible]

पत्र संख्या : Ref. No.

संदर्भ: उ.क्षे.-3/पावरग्रिड/आर टी आई/36/ [illegible] दिनांक: 08.03.2017

सेवा में,

श्री [illegible]

मकान सं० [illegible], गली सं० [illegible]

[illegible] एक्सटेंशन

दिल्ली – [illegible]

विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 23.01.2017 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र संदर्भ सं० 01/2017 दिनांक 23.01.2017 अपर महाप्रबंधक (के०आ० एवं के०लो०सू० अधिकारी) के पत्र संदर्भ सं० CP/RTI/2017/571 दिनांक 06.02.2017 के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 14.02.2017 को प्राप्त हुआ है। उत्तरी क्षेत्र-III से सम्बंधित मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है:

बिन्दु क्र सं	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
5.	दिनांक 01.07.2016 को उत्तरी क्षेत्र प्रथम के पुनरगठन के उपरांत उत्तरी क्षेत्र प्रथम एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय में कितनी पंजीकृत यूनियन थी, यूनियन के नाम, सम्बद्धता, पंजीकरण दिनांक, पंजीकरण संख्या व श्रमायुक्त कार्यालय जहाँ से पंजीकृत की गई प्रमाणित छायाप्रति सहित सम्पूर्ण विवरण देवें।	उत्तरी क्षेत्र-III का प्रचालन 1st जुलाई, 2016 को हुआ था। उस समय उत्तरी क्षेत्र-III में दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी, जिनका विवरण निम्नवत है: • यूनियन का नाम : पावरग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ • सम्बद्धता : सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स • पंजीकरण दिनांक : 1994-95 • पंजीकरण संख्या : 8166 • यूनियन का नाम : पावरग्रिड इम्प्लाइज ट्रेड यूनियन • सम्बद्धता: भारतीय मजदूर संघ • पंजीकरण दिनांक: 1988 • पंजीकरण संख्या : 7306
7.	बिंदु 05 के अंतर्गत यूनियनों को पावरग्रिड द्वारा किस विभागीय परिसर में यूनियन कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया वर्ष एवं दिनांक सहित प्रत्येक यूनियन का पृथक-पृथक विवरण देवें।	उत्तरी क्षेत्र-III का प्रचालन 1st जुलाई 2016 को हुआ है एवं इसके पश्चात किसी भी यूनियन को कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है।
10.	सितम्बर 2016 को पावरग्रिड विभाग द्वारा कोलकाता पूर्वी क्षेत्र-2 में बुलाई गई पी.एन.बी.सी बैठक में पावरग्रिड केंद्रीय मा.सं. के परिपत्र के/मा० सं०/औ.अ. दिनांक 12.05.2016 के प्रभाव से 01 जुलाई 2016 से पुनरगठित उ.क्षे. प्रथम एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय का प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित प्रतिनिधियों के नाम यूनियन से सम्बद्धता एवं पंजीकृत दिनांक, पंजीकृत संख्या व श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त कार्यालय जहाँ से पंजीकृत की गई प्रमाणित छायाप्रति सहित सम्पूर्ण विवरण देवें।	उत्तरी क्षेत्र III से सम्बंधित वांछित सूचना निम्नवत है: • प्रतिनिधि के नाम : श्री विवेक कुमार • यूनियन से सम्बद्धता: पावरग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ • सम्बद्धता - सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स • पंजीकृत दिनांक: 1994-95 • पंजीकृत संख्या: 8166

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

THIRTIETH SESSION OF THE INDIAN LABOUR CONFERENCE

(NEW DELHI : 7-8 SEPTEMBER, 1992)

सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

7. NEGOTIATING COUNCILS (para 8.1)

Setting up of Negotiating Councils for every industrial establishment employing 50 or more persons.

8. NEGOTIATING COUNCILS (para 8.2 and 8.3)

The Negotiating Councils shall consist of an equal member of representatives of employers and employees. In case there is no union a team of five persons may be elected.

9. NOMINATION OF REPRESENTATIVES ON THE NEGOTIATING COUNCIL (para 8.4)

In case there is only one union, that union will be entitled to nominate all the representatives on the Negotiating Council irrespective of its membership.

10. MACHINERY TO BE SET UP FOR CONDUCTING ELECTION OR FOR VERIFICATION (para 8.9)

Independent machinery be set up for conducting the election or for verification of membership through check-off.

11. REPRESENTATION IN CASE OF MULTIPLE UNIONS (para 8.10)

Where multiple unions have to be represented in the Negotiating Council, the representation of each union shall be in proportion to its membership or support, as the case may be.

12. ELIGIBILITY OF A UNION FOR CONTESTING MEMBERSHIP OF NEGOTIATING COUNCIL; ITS TENURE; RECOGNITION OF THE UNION WITH LARGEST MEMBERSHIP AS PRINCIPAL NEGOTIATING AGENT ETC. (para 8.11 to 8.17)

To contest for the position of member of the Negotiation Council, the Union must complete at least one year registration as a trade union under the Trade Unions Act. The Chairmanship at the meetings of the Negotiation Council will rotate between the employers' and workers' representatives. The Council will have three year tenure and the expenses relating to the said Council will be borne by the industry.

In case of composite Negotiating Council, the Union with the largest membership will be recognised as the principal Negotiating Agent. All agreements in the Negotiating Council which are unanimous or by majority shall be binding on all employers and employees.

13. VOLUNTARY ARBITRATION (para 9.2 to 9.6)

Every establishment employing 100 or more persons shall maintain a standing panel of arbitrators agreed to by both the parties; and upon failure of the Negotiating Council to settle any dispute either party shall have the right to invoke arbitration either by single person or by Board of Arbitration consisting of one or more representatives of each party out of the Standing Panel provided that other party agrees. It shall however, be open to the parties to accept as arbitrator any one from outside the panel.

1736

speed - post

EMS SPEED POST
ER609010704IN

To,

The Chief Public Information Officer (CPIO)
Power Grid Corporation of India Ltd.
B-9, Qutub Institutional Area, Katwariya sarai,
New Delhi– 110016

(1712)

From:-
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400 / 220 के.वी. उपकेन्द्र, करणी माता मंदिर के पास
400/220 KV Substation, Near Karni Mata Mandir
नान्ता कोटा–324008 / Nanta, Kota-324008

पावर ग्रिड/POWER GRID
20 DEC 2018
नई दिल्ली/NEW DELHI-16

6420

ER609010704IN
Counter No:1,17/12/2018,12:24

Amt:41.30(Cash)Wt:40gms

From:THERMAL COLONY KOTA S.O <324008>
From:Kota ICH Hub
To:NSH New Delhi Hub
Del PO:Hauz Khas SO<110016>

भारतीय डाक
India Post